(4)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 05.....सन् 2018–19

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–8 के अंतर्गत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद

अर्जीकार–संगीता देवी प्रतिपक्षीः– सरकार एवं चरित्र प्रसाद चौधरी

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	1– अर्जीकारः– संगीता देवी पति साधु शरण चौधरी, ग्राम–चतरा थाना–खजौली, जिला–मधुबनी। 2– प्रतिपक्षीः– 1– बिहार सरकार .....प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष। 2–चलित्र प्रसाद चौधरी पिता–फकीर चौधरी ग्राम–चतरा, परगना–बछौर, थाना–खजौली, जिला–मधुबनी। 3–प्रश्नगत भूमिः–मौजा–चतरा, अंचल–खजौली, खाता संख्या–01, खेसरा संख्या –10420 रकवा–0–3–5 खेसरा संख्या–11944 रकवा–0–0–10 **कुल रकवा– 0–3–15 (तीन कट्ठा पन्द्रह धूर)**	
16/3/19	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आवेदिका के आवेदन पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–33/17–18 संगीता देवी–बनाम–सरकार एवं अन्य में दिनांक–13.02.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया। पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त किया गया। सुनवाई के उपरान्त वाद को आदेशार्थ रखा गया। दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत किया गया। **आवेदिका की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–** 1–प्रश्नगत भूमि रामशरण राउत की एराजी रहती आई जिन्होंने जरूरत पड़ने पर भूमि बिकी करने का एलान किया नेवाजी चौधरी ने मोनासिब जरसेमन में से जैरवाना अदाय किया वो रामशरण राउत दिनांक–29.09.1990 को नेवाजी चौधरी के पक्ष में महदानामा तहरीर वो तामिल कर दिया किन्तु केवाला तामिल वो तहरीर नहीं किया तत्पश्चात् नेवाजी चौधरी ने मुंसिफ दोएम मधुबनी के न्यायालय में एक हकीयत वाद संख्या–17/1994 रामशरण चौधरी के विरूद्ध दायर किया जिसमें नेवाजी चौधरी के वाद को जयपत्रित किया वो रामशरण राउत को आदेश दिया कि निर्धारित सीमा के अंतर्गत नेवाजी चौधरी से बांकी जरसेमन लेकर केवाला तहरीर वो तामिल कर एकरार रजिस्ट्री कर दें, नहीं करने पर न्यायालय द्वारा शेष जरसेमन खजाना में जमा कराकर नेवाजी चौधरी के पक्ष में केवाला तहरीर वो एकरार रजिस्ट्री कर दिया जायेगा। 2– इसी बीच नेवाजी चौधरी एक पत्नी माको देवी चार पुत्री कमशः रामपरी देवी, कालो देवी, गांगिया देवी, मनतोरिया देवी वो एक पुत्र हरि नारायण चौधरी को छोड़कर वर्ष 1997 में ही स्वर्गवासी हो गये। नेवाजी चौधरी की कुल चल–अचल सम्पत्ति पर उनके वारिशान दखलकार हुये। कोर्ट के निर्णय के समय नेवाजी चौधरी स्वर्गवासी हो चुके थे वो उनके स्थान पर उनके वारिसान पक्षकार बनाये गये जिनके पक्ष में मोकदमा निर्णित हुआ। न्यायालय द्वारा रामशरण चौधरी को केवाला निबंधित कर देने की सूचना दी गई परन्तु केवाला तामिला वो तहरीर नहीं किया फलस्वरूप न्यायालय द्वारा माको देवी वगैरह के पक्ष में केवाला तामिल कर दिया गया। तदुपरांत तत्कालीन अंचल अधिकारी, खजौली ने अंचल अमला से जॉचोपरान्त माको देवी के पक्ष में दाखिल खारिज कर जमाबंदी संख्या–2549 कायम कर दिया जिसका मालगुजारी अदा होती आई।	

3– इस बीच माको देवी वगैरह ने 11.05.2000 को संगीता देवी जौजे साधुशरण चौधरी के पक्ष में निबंधित अतायनामा द्वारा दान कर दखल कब्जा दे दिया।

4– निबंधित दान पत्र के आधार पर संगीता देवी ने दिनांक–29.08.17 को दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया जिसे **बिना जॉच किये बिना किसी से प्रतिवेदन लिये उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया** जिसके विरूद्ध निम्न न्यायालय में अपील दायर किया किन्तु निम्न न्यायालय ने बिना तथ्यों की जॉच किये वो अभिलेख पर उपस्थित तथ्यों के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। **निम्न न्यायालय ने बिना शहर जमीन पर गये वो भी बिना किसी कर्मचारी के प्रतिवेदन के आदेश पारित कर दिया जो बिल्कुल गलत विधि–विरूद्ध वो असंगत है।**

5– तत्कालीन अंचल अधिकारी, खजौली के द्वारा ही 21.06.1999 के केवाला के आधार पर दाखिल खारिज कर जमाबंदी संख्या–2549 कायम किया जिसे पुनः वर्तमान अंचल अधिकारी ने उसी भूमि का निबंधित केवाला से किये गये दान पत्र को नहीं माना **जबकि निबंधित केवाला से किये गये दान पत्र के आधार पर दाखिल खारिज करने का प्रावधान है।**

6– निम्न न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है। निम्न न्यायालय को स्वयं स्थल निरीक्षण कर केवाला दान पत्र का अवलोकन कर दाखिल खारिज करने की स्वीकृति देनी चाहिए किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया तथा आवेदिका के आवेदन को खारिज कर दिया। निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

<u>प्रतिपक्षी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>

1– चरित्र प्रसाद चौधरी विपक्षी संख्या–2 के पिता फकीर चौधरी प्रश्नगत भूमि 3 कट्ठा 5 धूर के अरिया रैयत रहते आये तथा हरि नारायण चौधरी अरिया रैयत नहीं थे वो बिक्रेता के सहभागी भी नहीं थे जिस वजह से फकीर चौधरी ने भू0हद0धारा–16(3) निम्न न्यायालय में दायर किया जिसमें फकीर चौधरी के पक्ष में आदेश हुआ।

2– अपर समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर हुआ जिसे अपर समाहर्ता ने अपील आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध बोर्ड ऑफ रेभेन्यू में अपील दायर हुआ जिसमें अपर समाहर्ता के आदेश को निरस्त करते हुये पुनः सूनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया। रिमाण्ड वाद की सुनवाई में भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश को सम्पुष्ट कर दिया गया।

3–फकीर चौधरी के स्वर्गवासी होने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता ने फकीर चौधरी के पुत्र चरित्र प्रसाद चौधरी विपक्षी द्वितीय पक्ष के नाम से प्रश्नगत भूमि का केवाला तामिल कर दिया जिस पर प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष दखलकार चले आते हैं जिसका दाखिल खारिज से जमाबंदी संख्या–2692 कायम हुआ।

4– **संगीता देवी आवेदिका ने मुंसिफ द्वितीय मधुबनी के न्यायालय में हकीयत मोकदमा संख्या–33/2000 प्रतिपक्षी द्वितीयपक्ष एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया जो खारिज हो चुका है।**

5– **एन्टीडेटेड महदानामा तैयार कर रामशरण सिंह के विरूद्ध हकीयत मोकदमा संख्या–17/94 मुसिफ दोएम कोर्ट मधुबनी में चुपचाप दायर कर चुपचाप डिकी हासिल कर लिया जो कौल्यूसिभ है।** कोल्यूसिभ डिक्री हकीयत इजराय 5/96 चुपचाप दायर कर चुपचाप केवाला 21.6.99 को न्यायालय को धोखा देकर करवा लिया जो भ्वाईड एबनिसियो है।

6– नेवाजी चौधरी के वारसान मो0 माको देवी वगैरह का प्रश्नगत भूमि पर कभी दखल या हकीयत नहीं हुआ इसलिए अतायनामा दिनांक–11.5.2000 नविस्ते मो0 माको देवी वगैरह बनाम संगीता देवी साजसी फरेबी नुमाईसयी वो भ्वाईड एबनिसियो है। आवेदिका संगीता देवी को एक लेहजे के लिए भी प्रश्नगत जमीन के किसी भी

(6)

अंश पर हकीयत वो दखल नहीं हुआ और न हो सकता है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल जायज है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है बल्कि संपूष्ट होने योग्य है तथा आवेदिका का आवेदन खारिज होने योग्य है।

प्रतिपक्षी संख्या–1 अंचल अधिकारी, खजौलीकी ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–

खतियान में मौजा–चतरा गोबरौड़ा थाना नं. 115 का खाता नं. 27 कनचन सदा वो मनचन सदा वो जोकी सदा वो गेना सदा कॉम मुशहर सा0 देहे टोले चतरा व हिस्सा बराबर दर्ज है। जमाबंदी पंजी के अनुसार जमाबंदी नं. 2692 रैयत श्री चरित्र प्रसाद चौधरी का नाम दर्ज है, लगान वर्ष 2017–18 तक अद्यतन है जिस पर रैयत का दखल कब्जा है। इसलिए आदेश रैयत के पक्ष में संपुष्ट होने योग्य है।

सुनवाई के कम में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई कि स्थल निरीक्षण हेतु दोनों पक्षों को विधिवत् सूचना देनी चाहिए, इनके रिपोर्ट में निरीक्षण की तिथि का उल्लेख भी नहीं है। निम्न न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

निम्न न्यायालय अभिलेख 33/17–18 मे पारित आदेश का मुख्य अंशः–

प्रश्नगत जमीन पर अपीलकर्ता का दखल कब्जा नहीं रहता आया वो न है। प्रश्नगत भूमि का पूर्व से ही दाखिल खारिज द्वितीय पक्ष के नाम से हो चुका है इसलिए आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत करते हुये अंचल अधिकारी द्वारा किये पारित आदेश को सम्पूष्ट किया गया।

निष्कर्षः–

आवेदिका का पुनरीक्षण आवेदन, लिखित बहस, प्रतिपक्षी–2 का प्रत्युत्तर एवं लिखित बहस, प्रतिपक्षी–1 अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन, निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–33/17–18 में पारित आदेश दिनांक–13.2.18 का अवलोकन एवं परिसिलन किया। उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता इस न्यायालय को नहीं है। अभिलेख में उपलब्ध प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–13.2.18 को बरकरार रखते हुये आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

16/3/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

16/3/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।